

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
841	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.4457) दि. 18-03-2016 (श्री चन्द्रसिंह सिसौदिया)	श्री अशोक कुमार बडोनिया, अधीक्षण यंत्री, गांधीसागर जल विद्युत गृह को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना।	(1) अतिशीघ्र उनको वहां से स्थानांतरित कर दिया जायेगा। (2) जून में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।		
842	तारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.6577) दि. 18-03-2016 (श्री वीरसिंह पंवार)	(1) जिला विदिशा विधान सभा क्षेत्र कुरवाई के ग्राम बेंदीगढ़ का विद्युतीकरण किया जाना। (2) गोदरेज कंपनी के जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदला जाना।	(1) ठीक है। (2) ठीक है।		
843	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.4529) दि. 18-03-2016 (श्री विष्णु खत्री)	ग्राम बागसी तहसील बैरसिया जिला भोपाल में 33-11 के वी उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाना।	कार्य माह जून 2016 तक पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।		
844	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.4766) दि. 18-03-2016 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्यापुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत बंद - खराब मीटर विद्युत मीटरों को शीघ्र बदला जाना।	जॉचोपरान्त एक माह में बदलने की कार्यवाही की जा रही है।		
845	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.5643) दि. 18-03-2016 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	जिला दतिया के विकासखण्ड सेवड़ा अंतर्गत शेष बचे फीडर विभक्तिकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	प्राथमिकता के आधार पर आगामी एक माह में पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
846	अतारांकित प्रश्न सं.48 (प्रश्न क्रं.4711) दि. 18-03-2016 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. के मुख्यालय में तत्समय पदस्थ श्री सुजीत श्रीवास्तव सहायक अभियंता के विरुद्ध विभागीय जांच समय सीमा में पूर्ण की जाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	विभागीय जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
847	अतारांकित प्रश्न सं.94 (प्रश्न क्रं.5870) दि. 18-03-2016 (श्री आर.डी. प्रजापति)	जिला छतरपुर अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत शेष ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । ठेका निरस्त करने के उपरांत नई निविदा जारी करने की कार्यवाही की जाएगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
848	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.6372) दि. 18-03-2016 (श्री संजय शाह मकड़ाई)	(1) जिला हरदा अंतर्गत 25 हेक्टेयर से कम की खदानों में पोकलेन या अन्य मशीनों से खनन हेतु सिया से अनुमति प्राप्त कर ही खुदाई की जाना । (2) खदान की लीज समाप्त होने के बाद भी अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध चल रहे केशरों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जाना ।	(1) सिया से परमीशन की कार्यवाही चल रही है । (2) निश्चित रूप से जांच कराकर इसमें यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्यवाही भी करेंगे। जांच के बाद यह साबित होता है कि नियमों के उल्लंघन में किसी का संरक्षण है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ।		
849	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.6374) दि. 18-03-2016 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले के अंतर्गत खुली हुई खदानों को संरक्षित करते हुए उनसे पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाना एवं वर्षा का पानी खदानों तक पहुंचाने हेतु कार्ययोजना बनाई जाना ।	निर्देश जिले के कलेक्टर को दे दिए जाएंगे ।		
850	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.71 (प्रश्न क्रं.5605) दि. 18-03-2016 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर जिला अंतर्गत अवैध उत्खनन के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	शेष 21 प्रकरण वर्तमान में निराकरण हेतु विचाराधीन है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

गृह विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
851	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.439) दि. 18-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	रेत एवं पत्थर के अवैध उत्खनन करने वालों तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावी नियंत्रण में रखे जाने के लिए आदेशित करने तथा जिला भिण्ड, मुरैना एवं ग्वालियर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध प्रकरणों में विवेचना पूर्ण की जाकर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाना।	(1) प्रकरण विवेचनाधीन है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, प्रकरण विवेचनाधीन है। (2) प्रकरण विवेचनाधीन है। राजसात की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (3) हम नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। आपने जो सुझाव दिया है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अभी सहायता के लिए कार्यवाही चल रही है। आर्थिक सहायता दी जाएगी और उसकी राशि तय करेंगे। (4) आसंदी से हुए आदेश के परिपेक्ष्य में :- जैसा कि आपने आदेश दिया है, हम प्रभावी कार्यवाही करेंगे। (5) हम इस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे। आपने जो सुझाव रखा है, हम उस बात को मानेंगे।		
852	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.683) दि. 18-03-2016 (श्री आरिफ अकील)	(1) भोपाल नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाना एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। (2) भोपाल नगर में 4 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ पुलिस अधिकारियों को भोपाल नगर से बाहर पदस्थ किया जाना।	(1) जो सुझाव दिए हैं, उन पर विचार करेंगे। उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे, आपके सुझाव पर कार्यवाही करेंगे और क्या चाहिए। (2) नशे को बेचते हैं, उसके खिलाफ हम विशेष अभियान चलायेंगे। (3) 4 वर्ष से जो ज्यादा होंगे। उनको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। (4) भोपाल में नहीं। (5) अवश्य हटायेंगे। जिनको 4 वर्ष हो गए हैं, उनको अवश्यक हटा देंगे।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

जल संसाधन विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
853	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.42) दि. 18-03-2016 (श्री वेलसिंह भूरिया)	जिला धार विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर के रिंगनोद जलाशय का पुनः सर्वेक्षण प्रश्नकर्ता सदस्य की उपस्थिति में कराया जाना ।	(1) एक बार फिर से परीक्षण करा लेंगे । (2) रिंगनोद जलाशय और पोशिया जलाशय, दोनों का सर्वेक्षण अगर आप उपस्थित रहें तो बहुत अच्छी बात है । आप करवा लीजिएगा ।		
854	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.6652) दि. 18-03-2016 (श्री के. के. श्रीवास्तव)	जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत ककरवाहा पिकअप बियर परियोजना का पुनः सर्वेक्षण प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य की उपस्थिति में कराया जाना ।	माननीय सदस्य की उपस्थिति में इसका जैसा चाहेंगे, हम परीक्षण भी करवा लेंगे और यदि साध्य होगी योजना, तो हम करा भी देंगे ।		
855	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.867) दि. 18-03-2016 (श्री जतन उईके)	जिला छिंदवाड़ा विधान सभा क्षेत्र पांडुर्ना के बिहुआ साहनी बांध परियोजना की नहरों की गुणवत्ता संबंधी जांच करायी जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	नहर के निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए मुख्य अभियंता को निर्देश दे दिए गए है ।		
856	अतारांकित प्रश्न सं.68 (प्रश्न क्रं.5410) दि. 18-03-2016 (श्री मोती कश्यप)	जिला कटनी तहसील डीमरखेड़ा के ग्राम पहरुआ, सलैया एवं खमतरा के कृषकों को भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों का मुआवजा शीघ्र प्रदान किया जाना ।	भूमि तथा परिसंपत्तियों का मुआवजा निर्धारित कर भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है ।		
857	अतारांकित प्रश्न सं.120 (प्रश्न क्रं.6282) दि. 18-03-2016 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	जिला मुरैना अंतर्गत तहसील जौरा एवं मुरैना के ए बी सी नहर की सीसी लाइनिंग में आयी दरारों को ठेकेदार के व्यय पर ठीक कराया जाना ।	ठेकेदार के व्यय पर ठीक कराया जाएगा ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>858</b>	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.6354) दि. 18-03-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	जिला उज्जैन के अंतर्गत ग्रेसिम उद्योग नागदा द्वारा किये जा रहे प्रदूषण की जांच प्रश्नकर्ता मा.विधायक एवं स्थानीय मा.विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत की उपस्थिति में समय-सीमा में करायी जाना।	(1) पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को वहां अतिशीघ्र भेजेंगे उस समय दोनों माननीय सदस्यों को भी साथ रखेंगे। (2) अधिकारियों को 15 दिन में वहां पहुंचायेगे वहां पर आप दोनों विधायक भी रहें। मैं भी उस स्थल का निरीक्षण करने जाऊंगा। (3) मैं खुद जाऊंगा और एसडीएम अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।		
<b>859</b>	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.6251) दि. 18-03-2016 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	(1) जिला रतलाम नगर जावरा में घंटा घर टावर को तोड़कर मल्टीलेवल पार्किंग एवं मल्टीलेवल शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना। (2) जावरा नगर बस स्टेण्ड स्थित दुकानों को फोर लेन सड़क निर्माण के दौरान तोड़े जाने के कारण संबंधित दुकानदारों को विस्थापन के अंतर्गत अटल शॉपिंग काम्प्लेक्स में आवंटित की गई दुकानों को नई गाइड लाइन लागू न करते हुए नगरपालिका द्वारा पूर्व निर्धारित 1 लाख 54 हजार की राशि ली जाकर यथावत दुकानें आवंटित की जाना।	(1) हम कलेक्टर को पत्र लिखेंगे कि वह जनहित में उसका परीक्षण करा लें और यदि आवश्यक है तो उस पर कार्यवाही करेंगे। (2) जनहित में हम उसको भी करने का काम करेंगे। हम इसका परीक्षण करा लें और गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक होगा वह करेंगे।		
<b>860</b>	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.5720) दि. 18-03-2016 (श्री कुँवरजी कोठार)	जिला राजगढ़ की नगरपालिका परिषद सारंगपुर एवं नगर पंचायत परिषद पचोर को विभिन्न योजनांतर्गत दी गई राशि का दुरुपयोग किये जाने, कार्य पूर्ण न होने के बावजूद भुगतान किये जाने तथा कई कार्य प्रारंभ न किये जाने के संबंध में जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाना।	(1) 15 दिवस के अंदर उन कामों को हम प्रारंभ करा देंगे और तीन माह के अंदर उन कार्यों को पूरा करा देंगे। (2) इसकी हम जांच करा लेंगे। भोपाल से किसी अधिकारी को भेजकर के जांच करा लेंगे। (3) 1 माह के अंदर हम जांच पूर्ण करा लेंगे और जो भी दोषी और पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
861	तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.6497) दि. 18-03-2016 (श्री ओम प्रकाश धुर्वे)	जिला अनूपपुर नगर परिषद जैतहरी द्वारा बस स्टेण्ड स्थल पर शॉपिंग कांप्लेक्स की दुकानों की पुनः नीलामी करायी जाना।	जी हां कार्यवाही प्रचलित है।		
862	तारांकित प्रश्न सं.24 (प्रश्न क्रं.5620) दि. 18-03-2016 (श्री महेश राय)	जिला सागर अन्तर्गत बीना शहर में सड़क निर्माण एवं डिवाइडर निर्माण का कार्य गुणवत्ताविहीन कराये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
863	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.628) दि. 18-03-2016 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्माणाधीन कालोनियों एवं बहुमंजिला भवनों में नियमानुसार कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित किया जाना।	रिक्त आवासों की जानकारी एकत्र कर आवंटित करने के निर्देश दिये गये हैं।		
864	अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.3977) दि. 18-03-2016 (श्री राम लल्लू वैश्य)	प्रदेश के नगरीय निकाय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ शीघ्र दिया जाना।	शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है।		
865	अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.3978) दि. 18-03-2016 (श्री राम लल्लू वैश्य)	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा नगर सुधार न्यासों को विघटित कर नगरीय निकायों में गठन के उपरांत उक्त संस्थाओं के कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रथम नियुक्ति दिनांक से पेंशन व अन्य सुविधा का लाभ दिया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		
866	अतारांकित प्रश्न सं.63 (प्रश्न क्रं.5349) दि. 18-03-2016 (कुँवर सौरभ सिंह)	प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को लिखे गये पत्र दिनांक 16-9-15 में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही वरिष्ठ कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।		
867	अतारांकित प्रश्न सं.82 (प्रश्न क्रं.5713) दि. 18-03-2016 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	नगर निगम सतना द्वारा मुख्य मंत्री अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत प्रायवेट कालोनी में सड़क निर्माण की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। (2) प्रकरण की जाँच के लिए समिति गठित की गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
868	अतारांकित प्रश्न सं.83 (प्रश्न क्रं.5714) दि. 18-03-2016 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	नगर निगम सतना की जल प्रदाय योजना के निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति में वित्तीय अनियमितता की जांच में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाना।	(1) जाँच प्रतिवेदन में तत्कालीन महापौर परिषद प्रथम दृष्टया राशि रु. 1989.55 लाख की वित्तीय हानि के लिये दोषी है तथा तत्कालीन आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के प्रथम दृष्टया दोषी है। शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। (2) शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।		
869	अतारांकित प्रश्न सं.113 (प्रश्न क्रं.6191) दि. 18-03-2016 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	नगर पालिका सबलगढ़ जिला मुरैना में श्री प्रदीप कुमार शर्मा को दी गई नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति समाप्त कर सेवा से पृथक किया जाना एवं नियम विरुद्ध नियुक्ति प्रदान करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) श्री प्रदीप कुमार शर्मा, को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। (2) कार्यवाही प्रचलित है।		
870	अतारांकित प्रश्न सं.130 (प्रश्न क्रं.6383) दि. 18-03-2016 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	कटनी नगर में निर्मित हाकर्स जोनों में फुटपाथ व्यापारियों का व्यवस्थापन किया जाना।	नगर पालिक निगम कटनी द्वारा व्यवस्थापन की कार्यवाही की जा रही है।		
871	अतारांकित प्रश्न सं.139 (प्रश्न क्रं.6525) दि. 18-03-2016 (श्री दिनेश राय)	सिवनी जिले में नगर पालिका परिषद सिवनी, लखनादौन एवं बरघाट के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना।	प्रक्रिया चल रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
872	अतारांकित प्रश्न सं.106 (प्रश्न क्रं.6092) दि. 18-03-2016 (श्री सचिन यादव)	नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक परियोजना अन्तर्गत खरगोन जिले की बड़वाह तहसील के ग्राम सिरलाय एवं इंदौर जिले की तहसील मऊ के ग्राम दतोदा के कृषकों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा शीघ्र प्रदान किया जाना ।	प्रकरण अभी प्रक्रियाधीन है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
873	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.5919) दि. 18-03-2016 (श्री हरदीप सिंह डंग)	(1) मंदसौर जिले के अंतर्गत सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में पोकल एनर्जी सोलर वन इण्डिया के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अन्य कंपनी के नाम से अवैध रूप से विद्युत उत्पादन की जांच करायी जाना । (2) उक्त जिले के अंतर्गत सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा प्लांट लगाने हेतु किसानों से ली गई भूमि का नियमानुसार उचित दर पर मुआवजा प्रदान न किये जाने की जांच करायी जाना एवं किसानों का भुगतान किया जाना ।	(1) उसकी जानकारी लेकर, आपको संतुष्ट कर देंगे । (2) निश्चित जांच करा लेंगे । जांच हो जायेगी । (3) इस बात की जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है कि किसानों से जो जमीन ली गई है, उसका भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है । निजी लोगों से जो जमीन ली गई उसकी जांच हो जाएगी कि उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ है । (4) आपकी मांग पर जांच स्थापित होगी, जिम्मेदार अधिकारी उसकी जांच करेंगे ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
874	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.658) दि. 18-03-2016 (श्री केदारनाथ शुक्ल)	(1) जिला सीधी अंतर्गत इंदिरा आवास के आवंटन में की जा रही अनियमितता की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना एवं पात्र हितग्राहियों को नये सिरे से आवासों का आवंटन किया जाना । (2) नियम विरुद्ध आवास आवंटन के दोषी कर्मचारी को सेवा से पृथक किया जाना ।	(1) इसकी पुनः जांच करायी जा रही है, जांच में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ यथोचित कार्यवाही की जायेगी । (2) आवंटन करने वाला, इसका दोष है, इस कारण से इसको नौकरी से पृथक किया जाता है । (3) इसलिए मैं सारा आवंटन निरस्त करके और नये सिरे से सूची बनवा दूँगा ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
875	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्र.5966) दि. 18-03-2016 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा संभाग अंतर्गत कर अपवंचन की राशि व्यवसायियों से शीघ्र वसूल की जाना।	वसूली की कार्यवाही की जा रही है।		
876	अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्र.658) दि. 18-03-2016 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिला अंतर्गत ई-रजिस्ट्री न हो पाने के कारण शेष लंबित 472 शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्यवाही प्रचलित है।		
877	अतारांकित प्रश्न सं.77 (प्रश्न क्र.5644) दि. 18-03-2016 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	दतिया जिला अंतर्गत आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना शीघ्र पूर्ण की जाकर आगामी कार्यवाही की जाना।	शेष प्रकरणों में विवेचना जारी है।		
878	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.388) दि. 18-03-2016 (श्री शंकर लाल तिवारी)	भोपाल स्थित उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, उद्यमिता विकास केन्द्र (सैडमेप) से निकाले गये 100 कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाना।	हम प्रयास करेंगे कि इनकी जरूरत बनी रहे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

वित्त विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
879	अतारांकित प्रश्न सं.38 (प्रश्न क्रं.4203) दि. 18-03-2016 (श्री निशंक कुमार जैन)	भोपाल संभाग अंतर्गत कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय में कर्मचारियों के लंबित सेवा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाकर उनके सेवा रिकार्ड उनके मूल विभागों को वापस किया जाना।	प्रकरणों का निराकरण 90 दिवस की अवधि में नियमानुसार परीक्षण उपरांत निराकृत किये जा सकेंगे।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 18-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
880	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.5965) दि. 18-03-2016 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा संभाग अंतर्गत मांझी जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जाना एवं फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाना तथा जिन अधिकारियों ने यह प्रमाण पत्र बनाये हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाना।	जाति प्रमाण पत्र की जांच चल रही है, जिनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाए जाएंगे, उनको निरस्त किया जाएगा और जिन्होंने बनाए होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।		
881	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.4432) दि. 18-03-2016 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिला अंतर्गत तहसील राहतगढ़ में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं पेंशन प्रकरण, राशनकार्ड गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ने भूमि के पट्टे की मांग एवं अन्य समस्याओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच की जाकर शीघ्र कार्यवाही की जाना तथा समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रकरणों का निराकरण किया जाना।	उनका भी परीक्षण हो रहा है, हम कलेक्टर को निर्देश जारी करेंगे कि पुनः उसकी बैठक करके समीक्षा कर लें और माननीय विधायिका उसमें सम्मिलित हों।		
882	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्रं.3124) दि. 18-03-2016 (श्री रामनिवास रावत)	राज्य शासन द्वारा गठित जांच आयोगों के प्रतिवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही की जाकर विधान सभा के पटल पर रखा जाना।	कार्यवाही प्रकियाधीन है।		
883	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.6375) दि. 18-03-2016 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	जिला कटनी के अंतर्गत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 15 मई 2014 एवं 20 अक्टूबर 2015 को कलेक्टर कटनी को प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही की जाना तथा श्रीमती राममणी गुप्ता कटनी द्वारा कलेक्टर कटनी को प्रेषित पत्र दिनांक 10-10-2015 पर शीघ्र कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>884</b>	अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.5423) दि. 18-03-2016 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	जिला सतना अंतर्गत लोकायुक्त संगठन में दर्ज प्रकरण क्रमांक 291-13 में संबंधित दोषी के विरुद्ध कलेक्टर सतना द्वारा की जा रही जांच शीघ्र पूर्ण की जाकर जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	श्री रविन्द मिश्रा, तत्कालीन सचिव को कलेक्टर द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये है ।		
<b>885</b>	अतारांकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.5836) दि. 18-03-2016 (श्री नारायण सिंह पँवार)	राज्य वेतन आयोग के प्रतिवेदन खंड 4 में कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने संबंधी अनुशंसाओं पर शीघ्र निर्णय लिया जाना ।	नीतिगत होने से और परीक्षण की आवश्यकता है ।		
<b>886</b>	अतारांकित प्रश्न सं.101 (प्रश्न क्रं.6054) दि. 18-03-2016 (श्री दुर्गालाल विजय)	जिला श्योपुर अंतर्गत रिक्त उप संचालक सामाजिक न्याय, जिला योजना अधिकारी एवं रोजगार अधिकारी के पदों की पूर्ति की जाना ।	जी हों ।		